

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)टिब्बी जिला हनुमानगढ़पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:- 528/2025

1. जयदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. गुरमीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुरपेन्द्र कौर पुत्री गुरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. पुष्पेन्द्र पुत्री गुरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दिनांक 14/01/26

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री इंद्रजीत सिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं० 6 जीजीआर के खाता सं० 89/69 में प्रतिवादी स० 1 के नाम से दर्ज कुल 3.061 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकर घोषित किया जाता है व चक नं० 6 जीजीआर के खाता सं० 89/69 में प्रतिवादी स० 1 गुरमीत सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकवे को यथावत रखते हुए यदि किसी राक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।